UPBS120001862023

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), खलीलाबाद स्थान– बस्ती
पीठासीन अधिकारी– (सुश्री स्नेहिल श्रीवास्तव)

उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP04624

मूलवाद संख्या–140/2023
मुनिराम बनाम राधेश्याम आदि

09.02.2026

1. पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते सुनवाई व निस्तारण प्रार्थना–पत्र कागज सं०–24 ग 2 नियत है। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 24 ग 2

2. प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र 24 ग 2 दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद की जानकारी प्रतिवादीगण को अफवाहन प्राप्त हुई जिसमें प्रतिवादीगण अपने अधिवक्ता को नियुक्त कर दिनांक–02.08.2025 को न्यायालय पेशी पर हाजिर होने के लिए आ रहे थे कि रास्ते में बारिश होने लगी और मुकदमा पेशी होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित कर दिया गया तथा 2 मिनट बाद प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एपीरियन्स दिया गया तो पता चला कि अभी–अभी मुकदमें में एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है। आदेश दिनांकित–02.08.2025 के कायम रहने से प्रतिवादीगण की अपूर्तिनीय क्षति है और प्रार्थी अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित हो जायेगा। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 24 ग 2 प्रस्तुत कर आदेश दिनांक–02.08.2025 रिकाल व सेटएसाइड करते हुए अवसर प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

3. वादी द्वारा आपत्ति कागज सं०–33 ग 2 दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र 24 ग 2 नियम व प्रक्रिया के विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र रिकॉल काफी विलंब से दिया जा रहा है। तामीला दिनांक–10.01.2025 को विपक्षीगण के विरूद्ध हो गया था। चोरी–छिपे तारीख–पेशी की जानकारी किया करते थे जब न्यायालय द्वारा जवाबदेही का अवसर समाप्त करके एकपक्षीय साक्ष्य का आदेश पारित किया गया तब विपक्षी द्वारा रिकॉल प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। अतः वादी द्वारा आपत्ति दाखिल कर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रिकाल प्रार्थना पत्र 24 ग 2 निरस्त करने की याचना की गयी है।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में आदेश दिनांक–10.01.2025 के अनुक्रम में प्रतिवादीगण पर जरिये रजिस्ट्री तामीला पर्याप्त अवधारित किया गया एवं प्रतिवादीगण को वादोत्तर दाखिल करने हेतु अवसर प्रदान किया गया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर न दाखिल करने पर दिनांक–02.08.2025 को उनके वादोत्तर का अवसर समाप्त कर पत्रावली उनके विरूद्ध एकपक्षीय अग्रसारित की गयी।

6. पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा आदेश दिनांक–02.08.2025 को अपास्त कर वादोत्तर दाखिल करने का अवसर प्रदान करने हेतु रिकॉल प्रार्थना–पत्र 24 ग 2 दिनांक–29.08.2028 को प्रस्तुत किया गया है। न्याय की यह मंशा है कि वाद का निस्तारण उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र 24 ग 2 स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 24 ग 2 रू०–300 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांकित–02.08.2025 अपास्त किया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल वादोत्तर पत्रावली पर शामिल किया जाता है। पत्रावली दिनांक–16.02.2026 को वास्ते सुनवाई/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पेश हो।

(स्नेहिल श्रीवास्तव)
सिविल जज(जू०डि०),खलीलाबाद
स्थान– बस्ती।